

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

क्र.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(ख) के अनुसार चाही गई जानकारी	उत्तर
1	(i) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	उच्च न्यायालय की विशिष्टियों, कृत्य एवं कर्तव्य के संबंध में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की वेबसाइट www.highcourt.cg.gov.in का अवलोकन करें।
2	(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में सेवा की नियुक्ति और शर्त को विनियमित करने के लिये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवाएँ (नियुक्ति, सेवा और आचरण की शर्तें) नियम, 2017 बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ नियम 2007 भी बनाये गये हैं।
3	(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	प्रशासनिक कार्य माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय में निहित है जिसे वे स्वयं या विभिन्न कमेटियों के माध्यम से संपादित कराते हैं।
4	(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड	इस संबंध में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ नियम, 2007 एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवाएँ (नियुक्ति, सेवा और आचरण की शर्तें) नियम, 2017 बनाये गये हैं।
5	(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ स्थापना के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन होंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवाएँ (नियुक्ति, सेवा और आचरण की शर्तें) नियम, 2017 भी बनाये गये हैं। छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम, 1966 तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम, जो शासकीय सेवकों पर लागू होते हैं, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
6	(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, सेवापुस्तिका, वरिष्ठता सूची, अवकाश लेखे, वेतन पत्रक, सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, प्रशासनिक कार्यवाही, भर्ती संबंधी नस्त्रियाँ इत्यादि का संधारण किया जाता है।
7	(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	निरंक

8	(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग के रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के के लिय खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण	उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है।
9	(ix) अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	इस प्रकार की कोई निर्देशिका नहीं है।
10	(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	उच्च न्यायालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी प्रकार का मासिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है। स्थापना में पदस्थ अमले को मासिक वेतन दिया जाता है। उक्त अमले को किसी रेगुलेशन के तहत प्रतिकर देने की कोई पद्धति प्रचलित नहीं है।
11	(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बी.सी.ओ. 2103 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पक्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन जारी किया जाता है। सौंपे गये आबंटन के विरुद्ध डीडीओ द्वारा किये गये व्यय की संपूर्ण जानकारी संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन की वेब साइट www.ekoshonline.cg.nic.in पर उपलब्ध रहती है।
12	(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि पर ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है।
13	(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ	उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है।
14	(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो	उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.highcourt.cg.gov.in पर विविध जानकारी उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों एवं कानूनी सेवाओं से जुड़े लोगों की सुविधा के लिये वेबसाइट में हाईकोर्ट का इतिहास तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं पदस्थ माननीय न्यायाधिपतियों के संक्षिप्त परिचय सहित रजिस्ट्री अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष क्रमांक साइट में दिये गये हैं। हाईकोर्ट का वर्तमान रोस्टर एवं दैनिक तथा साप्ताहिक काज लिस्ट साइट में दी गई है। दैनिक

		<p>और साप्ताहिक काजलिस्ट में विभिन्न विकल्पों के माध्यम से सर्च सुविधा उपलब्ध है। वादी, प्रतिवादी और अधिवक्तागण अपनी सुविधानुसार अपने प्रकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p>साइट में उच्च न्यायालय का कैलेण्डर व अन्य संबंधित वेब-लिंक्स भी दिये गये हैं जिनकी सहायता से छ0ग0 राज्य शासन एवं अन्य उच्च भारतीय न्यायालयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।</p>
15	(XV) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है	उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का पुस्तकालय लोक उपयोग हेतु अनुरक्षित नहीं है।
16	(XVI) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	<p>लोक सूचना अधिकारी का नाम – श्री अनिल कुमार पाण्डेय रजिस्ट्रार (स्थापना), छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर. कार्यालय का दूरभाष नंबर– 07752–241025</p> <p>अपीलीय अधिकारी का नाम – श्री रजनीश श्रीवास्तव रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर कार्यालय का दूरभाष नंबर– 07752–241021 07752–241031 (फैक्स)</p>
17	(XVII) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,	उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा टेलीफोन डायरेक्ट्री एवं कैलेण्डर भी प्रकाशित किया जाता है।